संख्या:52 /2022/1736-ई-2/तेरह-2022-74/2016-1664412

प्रेषक,

**राजवीर सिंह**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

**विषय:** मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा. लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को स्वीकृत 130 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् 455 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की शीरे पर आधारित मिश्रित आसवनी, पेय क्षमता 129 लाख लीटर वार्षिक के स्थान पर 160 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् 560 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की केवल ग्रेन पर आधारित आर.एस./ई.एन.ए./एथनॉल उत्पादन किये जाने तथा इसके अन्तर्गत 70 लाख लीटर वार्षिक पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-231/दो-प्रा.डी.-213/ मालब्रोस, दिनांक 10-10-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-10-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1764ई-2/तेरह-2022-1664412 दिनांक 20-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 10-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 31-12-2020 द्वारा मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा. लि. , ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को पूर्व में स्वीकृत की गयी 130 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 455 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित आसवनी के अन्तर्गत 129 लाख लीटर पेय मदिरा एवं शेष औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की अनुमति को संशोधित करते हुये 160 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर क्षमता की केवल ग्रेन पर आधारित आसवनी स्थापित किये जाने, जिसके अन्तर्गत 70 लाख लीटर पेय मदिरा एवं शेष 490 लाख लीटर औद्योगिक अल्कोहल के अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट), ई.एन.ए., अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की अनुमति शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक को ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "नो इन्क्रीज इन पोलूशन लोड" प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन किया जाना होगा।

(2) आसवक को आसवनी संचालन किये जाने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जल एवं

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वायु सहमति में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराते हुए उसे कार्यालय आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर- 3(4)( छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई पर कोई सरकारी राजस्व का बकाया न होने का प्रमाण पत्र अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से प्राप्त कर आसवक को आसवनी संचालित किये जाने से पूर्व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(राजवीर सिंह)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।